न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 122/2022 राजस्व अपील

1. रामकिशोर पुत्र रामपाल जाति माली निवासी ग्राम गढ उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व उप तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 29.09.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामकिशोर मुकदमा नम्बर 383/2016 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री मक्खन शर्मा , अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 06.05.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम दिवाकर के आराजी खसरा नम्बर 784/746 रकबा 0.31 है. भूमि पर सम्वत 2073 में अपीलान्ट ने अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर उप तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट को नोटिस की व्यक्तिगत जानकारी नहीं हुई, ना ही तामील हुई। अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा एवं विवादित आराजी से बेदखल कर लगान का 50 गुणा शास्ति राशि जुर्माने की सजा आरोपित कर निर्णय दिनांक 29.09.2016 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 29.09.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर कानून नियम उपनियम के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नहीं देकर कानून के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया गया ना ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट एक्जिबिट ही हुई है। बिना एक्जिबिट हुये साक्ष्य व सबूत के तौर पर इसे ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं है, इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज व प्रलेख नहीं है जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट की ओर से आराजी भूमि खसरा नम्बर 784/746 रकबा 0.31 है. वाके ग्राम गढ में स्थित किस्म चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं अतिक्रमण नहीं होना व्यक्त करते हुये शपथ पत्र पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:43 IST
Reason: SelfAttested

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का राणोली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अपीलान्ट रामकिशोर पुत्र रामपाल जाति माली निवासी गढ द्वारा खसरा नम्बर 784/746 किस्म चरागाह भूमि पर 0.06 है. पर झोंपडी बनाकर एवं 0.025 है. भूमि पर पडत कब्जा कर कुल 0.31 है. भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 29.09.2016 पारित कर अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा, बेदखली व 50 गुना लगान की शास्ति से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटा लिया जाना स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पूर्व मेंअधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 29.09.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रकरण संख्या 118/2016 रामकिशोर बनाम राज. सरकार पेश होने पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.05.2017 द्वारा अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटा लिये जाने तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष प्रस्तुत करने पर सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाकर शेष आदेश पेनल्टी व बेदखली यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय की पालना में अतिक्रमण नहीं हटाये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर अपीलान्ट के विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 29.09.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रकरण संख्या 118/2016 रामकिशोर बनाम राज. सरकार पेश होने पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.05.2017 की पालना में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाकर पुनः इस न्यायालय में अपील पेश की गई है। अपीलान्ट को अतिक्रमण हटाये जाने का अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का निर्णय दिनांक 29.09.2016 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ रिकार्ड रूम की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:43 IST
Reason: SelfAttested